

क्रमांक 472/3418/92/3/स्क

भोपाल, दिनांक 26/3/98

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषय :- गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीका संसूचित की जाना।
संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्र. 2/1180/काप्रसु/78 दि. 4 फरवरी, 79.

--:000:--

शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में अंकित प्रतिकूल टीका को निर्धारित समयवधि में संसूचित किये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु यह देखा गया है कि शासकीय सेवकों को समय पर प्रतिकूल अभ्युक्ति संसूचित नहीं की जाती है। शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि जिस अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित की जाती है उसे कभी भी पूर्व में उसके कार्यों/कार्यप्रणाली में सुधार लाने के संबंध में सचेत नहीं किया जाता है, जो उचित नहीं है। किसी अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टीका अंकित करने से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा उसे समय-समय पर उपरोक्तानुसार सचेत किया जाना चाहिये। सचेत किये जाने पर भी कार्य में सुधार परिलक्षित न होने पर प्रतिकूल अभ्युक्ति अंकित की जाये।

2/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

141-6
33

सीमा शर्मा
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सांख्यिक प्रशासन विभाग